भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2348

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

केसीसी ऋण माफी

2348. एडवोकेट चन्द्र शेखर:
श्री हनुमान बेनीवालः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि भारतीय बैंकिंग संघ ने छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय कठिनाई को ध्यान में रखते हुए तीन लाख रुपये तक के केसीसी ऋण के लिए प्रसंस्करण, दस्तावेजीकरण, निरीक्षण, लेजर फोलियो शुल्क और अन्य सेवा शुल्क माफ करने की सलाह दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैंक इस परामर्श का पालन कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का किसानों के हित में और बैंकों द्वारा सख्त अनुपालन के लिए उक्त परामर्श को अनिवार्य बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): भारतीय बैंक संघ ने 04 फरवरी 2019 को एक एडवाइजरी जारी की और सभी सदस्य बैंकों से यह अनुरोध किया कि वे छोटे और सीमांत किसानों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए 3 लाख रुपये तक के किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)/फसल ऋणों के लिए प्रसंस्करण, दस्तावेजीकरण, निरीक्षण और अन्य सभी सेवा शुल्क माफ कर दें।

तथापि, अविनियमित ऋण परिवेश में, बैंकों को अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के विवेकपूर्ण मानदंडों के अध्यधीन प्रभार और शुल्क लगाने सहित ऋण संबंधी निर्णय लेने का विवेकाधिकार दिया गया है। तदनुसार, बैंक किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) ऋणों के लिए प्रसंस्करण शुल्क, निरीक्षण शुल्क और अन्य शुल्कों पर अपने संबंधित बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार और आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 04.07.2018 के किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी) पर मास्टर परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार निर्णय लेते हैं।

*****